न्यायालयः— राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर जिला ग्वालियर (म0प्र0)

समक्ष : एम0 के0 सिंह

सदस्य

पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक रिव्यू 1692—1/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 20.05.2016—पारित—द्वारा—माननीय श्री एम0 के0 सिंह सदस्य राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर प्रकरण कमांक निगरानी 558—1/2016

1. रामविलास पुत्र श्री मुंशी लाल ओझा, निवासी— मृगपुरा सर्किल पीपरी भिण्ड, जिला— भिण्ड (म0प्र0)
2. रामकिशोर पुत्र श्री मोहर राम ओझा, निवासी— ग्राम सरायपुरा, जिला— भिण्ड (म0प्र0)

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1. रामदास पुत्र स्व0 श्री रामनारायण ओझा निवासी— ग्राम मुड़ियाखेड़ा, तहसील भिण्ड, जिला— भिण्ड (म0प्र0)

.....असल अनावेदक

2. मुन्नेश पुत्र श्री मोहराम ओझा
3. राजू पुत्र श्री मोहराम ओझा
4. अशोक पुत्र श्री मोहराम ओझा

निवासीगण— ग्राम सरायपुरा, जिला भिण्ड (म0प्र0)

.....तरतीवी/अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री राजमणि बंसल)

(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस0 पी0 धाकड़)

आ दे श

(आज दिनांक 8-7-2016 को पारित)

1. यह पुनर्विलोकन याचिका निगरानी प्रकरण कमांक 558—1/2016 में पारित आदेश दिनांक 20.05.2016 से व्यथित होकर मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण का सारांश यह है कि रामनारायण पुत्र सामले के नाम ग्राम मुडिया खेड़ा स्थित कुल किता 4 कुल रकवा 1.07 है0 (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) भूमि थी, जिसकी मृत्यु उपरान्त अनावेदक कमांक 1 ने वसीयतनामा प्रस्तुत करते हुये नामान्तरण किये जाने की प्रार्थना की। नायब तहसीलदार वृत्त पीपरी तहसील भिण्ड के प्रकरण कमांक 20/2014–15–अ–6 पंजीबद्ध किया तथा जॉच एवं सुनवाई कर आदेश दिनांक 31 दिसम्बर 2014 पारित किया तथा वसीयत प्रमाणित पाने से वादग्रस्त भूमि पर अनावेदक कमांक 1 का नामांतरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 29/14–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 8–10–2015 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 15/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 11–2–2016 से दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये एवं अपील स्वीकार कर मृतक रामनारायण की भूमि पर अनावेदक कमांक 1 का हिस्सा 1/3, मृतक शीतला देवी पत्नि मुन्शी लाल ओझा के पुत्र रामविलास का हिस्सा 1/3 पर एवं मृतक राजा बेटी पत्नि मोहरमल के पुत्र रामकिशोर, मुन्नेश, राजू, अशोक का हिस्सा 1/3 पर नामान्तरण करना स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 558–1/2016 प्रस्तुत की गई, जो दिनांक 20.05.2016 को दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्वीकार की गई, जिससे व्यथित होकर यह पुनर्विलोकन याचिका आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3. इस पुनर्विलोकन में आवेदक के अभिभाषक द्वारा यह व्यक्त किया गया कि निगरानी प्रस्तुत करते समय अनावेदक कमांक 1 द्वारा जिस वसीयत के आधार पर नामान्तरण चाहा गया है वह वसीयत दिनांक 25.01.2002 को निष्पादित की गई थी, जबकि मृतक रामनारायण द्वारा अपने जीवनकाल में इस वसीयत के उपरान्त दिनांक 05.02.2002 को एक और वसीयत आवेदकगण के पक्ष में की गई। इस वसीयत को छुपाते हुये निगरानी प्रस्तुत की गई, जिस कारणवश अनावेदक कमांक 1 द्वारा तथ्यों को तोड मरोड कर अनुचित लाभ लेने के लिये माननीय न्यायालय को गुमराह कर अपने पक्ष में आदेश कराया गया। आगे अभिभाषक द्वारा यह भी व्यक्त किया गया कि विधि का समुचित सिद्धांत है कि मृतक द्वारा जो आखिरी

वसीयत की जावेगी वही वसीयत मान्य होगी और इस प्रकरण में आखिरी वसीयत दिनांक 05.02.2002 को आवेदकगण के हित में की गई थी। इस तथ्य को न बताते हुये अनावेदक कमांक 1 द्वारा अपने पक्ष में तथ्यों का सही रूप से न बतलाते हुये आदेश पारित करवाया गया है। इन आधारों पर आवेदक के अभिभाषक द्वारा यह व्यक्त किया गया कि निगरानी में पारित आदेश पुनर्विलोकन किया जाकर निगरानी निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

4. अनावेदक के अभिभाषक द्वारा यह व्यक्त किया गया कि निगरानी के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है और अनावेदक द्वारा किसी तथ्यों को नहीं छुपाया गया है और यह प्रार्थना की गई कि पुनर्विलोकन याचिका निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

5. उभय पक्ष के अभिभाषकगण के तर्कों पर विचार करने एवं आदेश दिनांक 20.05.2016 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा इस बात को छुपाया गया है कि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत वसीयत ही एक मात्र वसीयत है एवं इसके अलावा अन्य कोई वसीयत किसी ओर के पक्ष में निष्पादित नहीं की गई थी, जबकि इस वसीयत के उपरान्त एक और वसीयत दिनांक 05.02. 2002 को निष्पादित की गई थी, मगर इस तथ्य को छुपाते हुये अनावेदक ने अचुचित लाभ लेने के उद्देश्य से न्यायालय को यह तथ्य नहीं बताया।

6. विधि का यह समुचित सिद्धांत है कि जो भी व्यक्ति किसी भी न्यायालय में आता है, तो उसे स्वच्छ हाथ, स्वच्छ दिल, स्वच्छ मन और स्वच्छ उद्देश्य से आना चाहिये, अन्यथा उसे प्रकरण में कोई लाभ नहीं मिलना चाहिये। इस तारतम्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायदृष्टांत अवलोकनीय है, जो इस प्रकार है **राजेन्द्र सिंह रावत विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य 2012 (5) एम0 पी0 एस0 टी0 299** जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि :— "यह न्याय का विधिक सिद्धांत है कि एक व्यक्ति जो न्यायालय में जा रहा है, उसे स्वच्छ हाथ, स्वच्छ दिमाग, स्वच्छ दिल एवं स्वच्छ उद्देश्य से जाना चाहिये एवं उसके द्वारा हर उस बात का उल्लेख करना चाहिये जो प्रकरण में आवश्यक है अगर उसके द्वारा किसी तथ्य को छुपाया जाता है तो वो न्यायालय से कोई भी लाभ पाने का अधिकारी नहीं है।"

7. इसी तारतम्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **उदायनी एवं खादी ग्रामोद्योग बेलफेयर संस्था विरूद्ध उ0प्र0 राज्य 2008 वोल्यूम 1 एस0सी0सी0 पेज 560** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :—

"यह न्याय का विधिक सिद्धांत है कि एक व्यक्ति जो न्यायालय में जा रहा है, उसे स्वच्छ हाथ, स्वच्छ दिमाग, स्वच्छ दिल एवं स्वच्छ उद्देश्य से जाना चाहिये एवं उसके द्वारा हर उस बात का उल्लेख करना चाहिये जो प्रकरण में आवश्यक है अगर उसके द्वारा किसी तथ्य को छुपाया जाता है तो वो न्यायालय से कोई भी लाभ पाने का अधिकारी नहीं है।"

8. इसी तारतम्य में आवेदक द्वारा यह पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत की गई है और व्यक्त किया गया है कि अनावेदक द्वारा तथ्यों को छुपाते हुये अपने लाभ हेतु न्यायालय के समक्ष सही तथ्य प्रकट नहीं किये और यह विधि का समुचित सिद्धांत है कि अगर कोई त्रुटि किसी आदेश में हो गई है तो उसे पुनर्विलोकन में सुधारा जा सकता है। इस तारतम्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय दृष्टांत अवलोकनीय है **1999 आर0एन0 401 (उच्च न्यायालय)** जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अगर किसी आदेश में कोई त्रुटि हो गई है और अगर वह दिख रही है तो उसका पुनर्विलोकन धारा 51 मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 में किया जा सकता है।

9. उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनर्विलोकन आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं निगरानी प्रकरण कमांक 558—1/2016 में पारित आदेश दिनांक 20.05.2016 निरस्त किया जाता है और इस प्रकार निगरानी प्रकरण कमांक 558—1/2016 निरस्त की जाती है और आयुक्त चम्बल सम्भाग मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 15/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 11.02.2016 को यथावत रखा जाता है।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्यप्रदेश ग्वालियर